न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

मि0नं0
97 / 2019

तारीख दायरा
22.08.2019

तारीख फैसला
25.02.2026

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– मोतीलाल आत्मज विश्वेश्वर दयाल जाति ब्राहमण निवासी अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से–श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से–तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम 1955 घोषणा दुरूस्ती

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश कियाहै :–

1– यह कि ग्राम जाखडोंद तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 2 की रकबा 0.31 हेक्टर भूमि वादी व अन्य सहखातेदारान गिराज, मोहनी, शोभा व सूरजा बाई के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। पूर्व में उक्त भूमि वादी के पिता विश्वेश्वर दयाल जी के खाते में दर्ज चली आ रही थी। यह कि ग्राम जाखडोन तहसील दीगोद में खसरा नम्र 64 की 0.02 हेक्टर भूमि वादी व भाई गिर्राज के खाते में दर्ज चली आ रही हैं। यह कि इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 16.08.2019 को 'सरकार उपकृषक' शब्द राजस्व रिकार्ड से हटाये जाने व दोनो खातों की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम विशम्भर के स्थान पर विश्वेश्वर दयाल दर्ज कर दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया किन्तु उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया ओर सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

यह कि इस प्रकार वादी खातेदार हो गये है। इस कारण उपकृषक का नोट वादीगण के राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना आवश्यक है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की सादर निर्णय एवं डिक्री पारित फरमायी जावे कि:–

1– कि ग्राम जाखडोंद तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 2 की रकबा 0.31 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में उपकृषक को हटाया जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे तथा ग्राम जाखडोन तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 0.02 की 0.31 हेक्टर, खसरा नम्बर 64 की 0.02 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम विशम्भर के स्थान पर विश्वेश्वर दयाल दर्ज कर दुरूस्त किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम रेल सम्वत 2071–74

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

2— मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043—62
3— सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2043—62
4— जमाबन्दी संवत् 2075—79
5— जमाबन्दी संवत् 2034—36
6— नकल निर्णय दिनांक 11.08.2004
8— नकल निर्णय दिनांक 29.10.2021

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद की ओर से जवाब सरकार रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद की मिसल नं0 78/2003 अंतिम डिक्री दिनांक 11.08.2004 से उपकृषक शब्द हटाये जाने की डिक्री पारित हुई है को शामिल फाईल किये जाकर पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। प्रकरण में वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्क्ता ने दौराने बहस कथन किया है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार अब कोई भी व्यक्ति उपकृषक नहीं रहा है और राजस्थान सरकार के पत्र कमांक एफ 2(682)रेव/बी/62 दिनांक 5—6—1966 से तथा धारा 193 आर0 टी0 एक्ट अनुसार ग्राम के सेवादारों यथा माफी, चोकीदारी, माफी ग्राम बलाई आदि में उसकी अनुदान भूमिका खातेदार आसामी हो गया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड तथा संलग्न दस्तावेज तथा जवाब सरकार एवं वादीगण के अधिवक्ता की बहस का अवलोकन किया गया। वादी का आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम जाखडोंद तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 2 की रकबा 0.31 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित 'उपकृषक' शब्द हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी—दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— मोतीलाल आत्मज विश्वेश्वर दयाल जाति ब्राहमण निवासी अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1— राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से—श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से—तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम 1955 घोषणा दुरूस्ती

मिसल नं 97 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :— ग्राम जाखडोंद तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 2 की रकबा 0.31 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित 'उपकृषक' शब्द हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। पारित निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)